राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2941098, ई–मेल : **rajscoutguide@rajasthan.in**

क्रमांक : एफ.1(16) / सं.रा.स. / पार्ट / 2026–27 / 6497 दिनांक : 18.11.2026

महोदय / महोदया,

विषय – राज्य परिषद वार्षिक अधिवेशन – दिनांक 30.12.2026

राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स व गाइड्स का 76वां वार्षिक अधिवेशन राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली रूल्स बुक के अध्याय – III के नियम 62(1) एवं राज्य संगठन के उप नियम के अनुसार दिनांक 30.12.2026, शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा–जयपुर पर आयोजित किया जावेगा । कृपया यथा समय अधिवेशन में सम्मिलित होने का श्रम करें । राष्ट्रीय मुख्यालय के अध्याय–III के नियम संख्या 58 के अनुसार सदस्यों की सूची संलग्न है ।

सधन्यवाद ।

भवदीय

(डॉ. पी. सी. जैन)
राज्य सचिव

राज्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों
की सेवा में

–: कार्यसूची :–

1. प्रार्थना, स्वागत ।
2. प्राप्त संदेशों का पठन ।
3. गत अधिवेशन के कार्यवृत की पुष्टि ।
4. गत अधिवेशन के कार्यवृत की अनुपालना ।
5. वर्ष 2025–26 के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार एवं अनुमोदन ।
6. वर्ष 2025–26 के अंकेक्षित लेखों की ऑडिट रिपोर्ट का अनुमोदन ।
7. वर्ष 2026–27 के बजट का अनुमोदन एवं वर्ष 2027–28 के बजट को ऑपरेट करने का अधिकार स्टेट चीफ कमिश्नर को देने की स्वीकृति
8. वर्ष 2026–27 के लेखों के अंकेक्षण हेतु ऑडिटर की नियुक्ति प्रस्ताव अनुमोदन
9. पुरस्कारों की घोषणा
10. अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से प्राप्त अन्य प्रस्तावों पर विचार
11. स्टेट चीफ कमिश्नर महोदय का उद्‌बोधन
12. अध्यक्षीय उद्‌बोधन
13. धन्यवाद
14. राष्ट्रगान

15'. चुनाव प्रक्रिया (यदि आवश्यकता हुई)

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर 302015
टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2941098, ई–मेल : **rajscoutguide@rajasthan.in**

महोदय / महोदया,

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य परिषद् के 76वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, जगतपुरा–जयपुर पर होगा तथा राष्ट्रीय मुख्यालय के नियम संख्या 59 एवं राज्य संगठन के उप नियम के अनुसार गठित निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कॉलेज) द्वारा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं स्टेट चीफ कमिश्नर के पदों के लिए चुनाव सम्पन्न होगा ।

(1)	अध्यक्ष	1 पद
(2)	उपाध्यक्ष	12 पद (जिनमें 6 पद महिलाओं के लिए) (यदि महिलाओं के पर्याप्त नामांकन प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में पुरूषों से पद भरे जायेंगे और इसके विपरीत भी)
(3)	स्टेट चीफ कमिश्नर	1 पद

नामांकन हेतु पात्रता :–

(1) **अध्यक्ष** :– भारत स्काउट व गाइड के नियम 64.1 के अनुसार भारत का नागरिक हो तथा प्रदेश में निवास करता हो । स्काउट / गाइड संगठन की रीति–नीति तथा उद्देश्यों को मानता हो ।

(2) **उपाध्यक्ष** :– भारत स्काउट व गाइड के नियम संख्या 65.2 के अनुसार राज्य संगठन में राज्य / मण्डल / जिला / स्थानीय संघ स्तर पर अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया हो या राज्य / जिला / मण्डल मुख्य आयुक्त या राज्य / जिला / मण्डल आयुक्त के रूप में सेवाएँ दी हों ।

(3) **स्टेट चीफ कमिश्नर** :– भारत स्काउट व गाइड के नियम 66.1 के अनुसार नियुक्ति पत्र प्राप्त स्टेट चीफ कमिश्नर, नियुक्ति पत्र प्राप्त स्टेट कमिश्नर्स के रूप में कम से कम 3 वर्ष सेवाएँ दी हों या जिला / मण्डल मुख्य आयुक्त, मण्डल / जिला आयुक्त के रूप में कम से कम 6 वर्ष सेवाएँ दी हों ।

नोट :–

(1) राज्य संगठन के उप नियम के अनुसार विभिन्न पदों के लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र में नामांकन पत्र राज्य सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य मुख्यालय, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर–302015 (राजस्थान) जो कि चुनाव अधिकारी (रिटर्निंग ऑफीसर) हैं, के पास दिनांक 9.12.2026 को अपरान्ह 3:00 बजे तक पहुँच जाने चाहिए । इस तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले नामांकन पत्र स्वीकार नहीं होगें । संलग्न निर्धारित नामांकन पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में नामजदगी पत्र मान्य नहीं होगें ।

(2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व स्टेट चीफ कमिश्नर पदों के लिए नामजद किये जाने वाले व्यक्ति को निर्वाचक मण्डल (इलेक्टोरल कॉलेज) के सदस्यों में से एक सदस्य द्वारा प्रस्तावित व दूसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित किया जावेगा । ऐसा नहीं होने पर नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

(3) नामजदगी पत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर उसकी सहमति स्वरूप होना अनिवार्य है ।

(4) जिस पद के लिए नामांकन किया जा रहा है, उसी पद का नामांकन पत्र भरा जावे । अन्य किसी प्रारूप में स्वीकार नहीं होगा ।

(5) आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में चुनाव अधिकारी के पास निर्धारित तिथि पर नहीं पहुँचने तथा प्रस्तावक व अनुमोदक (सैकेण्डर) तथा प्रत्याक्षी के हस्ताक्षर के अभाव में, कटिंग, ओवरराइटिंग आदि होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा ।

(6) एक व्यक्ति केवल एक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है । एक से अधिक पद के लिए नामांकन भरने पर नामांकन पत्र की वापसी तिथि तक एक पद को छोड़कर शेष पदों हेतु नाम वापस लेना होगा अन्यथा नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा ।

(7) नामांकन पत्र का लिफाफा भेजते समय लिफाफे पर "नामांकन पत्र" अवश्य लिखें ।

(8) यदि राज्य परिषद के सदस्य इस अधिवेशन में विचार के लिए कोई प्रस्ताव रखना चाहे तो 9.12.2026 को सांय 3:00 बजे तक राज्य सचिव को भिजवा दें । इसके बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

निर्वाचन कलैण्डर

कार्यक्रम	तिथि	समय
अधिसूचना जारी करना	18.11.2026	
नामांकन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि	9.12.2026	अपरान्ह 3:00 बजे तक
नामांकन पत्रों की छंटनी व जाँच	10.12.2026	अपरान्ह 12:00 बजे से
सूचना पट्ट पर वैध/अवैध नामांकन को चस्पा करना	10.12.2026	सांय 6:00 बजे अथवा जाँच पूर्ण होने पर
उम्मीदवार के नाम वापसी की तिथि	16.12.2026	सांय 3:00 बजे तक
अन्तिम वैध नामांकन सूची सूचना पट्ट पर चस्पा करना	16.12.2026	सांय 5:00 बजे तक
मतदान (यदि आवश्यक हुआ तो)	30.12.2026	दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे तक
मत गणना	30.12.2026	मतदान समाप्त होने के तत्काल बाद अथवा सांय 5:00 बजे, जो भी देरी से हो ।
परिणाम घोषणा	30.12.2026	मत गणना के पश्चात्

नोट – इलेक्टोरल सदस्यों की सूची, नामांकन पत्र एवं परिषद सदस्य सूची संगठन वेबसाइट rajscoutguide.org पर उपलब्ध है

भवदीय

(डॉ. पी. सी. जैन)
राज्य सचिव एवं
निर्वाचन अधिकारी

राज्य परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों
की सेवा में ।